18/5/22 वादिया अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादिया का वादपत्र भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर